1004
प्रति

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांकः प.15(3)आयु./2002 पार्ट

जयपुर दिनांक- 11/1/2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषा/अभिस्तावना कमांक एफ–7 (98)भर्ती/गोपनीय/2013–14/225, 229 एवं 233 दिनांक 14.09.2016 के आधार पर राजस्थान आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के नियम 5 के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदय, निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को उनके नाम के अंकित पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने हेतु, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों तथा सम्बन्धित सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों, वेतनमान – रनिंग पे बेण्ड संख्या–3 (15600–39100), ग्रेड पे संख्या–15 (रू. 5400) में देय नियत पारिश्रमिक 22,180/– (अक्षरे रू. बाईस हजार एक सौ अस्सी) पर नियुक्त करते है –

क्र. सं.	मेरिट कमांक	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी सर्वश्री	पदनाम	श्रेणी	जन्म तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	1	246012	जितेन्द्र सिंह राठौड़	बोटनिस्ट (Botanist)	GE	16.06.1976
2	1	245060	अमित शर्मा	केमिस्ट (Chemist)	GE	30.06.1990
3	1	247068	नवीन उपाध्याय	एनालिस्ट (Analyst)	GE	20.06.1984
4	2	247058	दिनेश कुमार	एनालिस्ट (Analyst)	GE	01.05.1982

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन है :–

1. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2)वित्त / नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ. 14(1)एफ.डी./रूल्स/2013/ पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
2. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालवधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी।

अभ्यर्थी इस प्रकार का बंधक पत्र निष्पादित कर निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रस्तुत करेगें

3. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
4. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होने के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के नियमों, उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
6. उक्त नियुक्तियां सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।
7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण, चाल–चलन सत्यापन का प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र **निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रस्तुत** करने होगें।
8. अभ्यर्थियों को राजकीय आयुर्वेद औषध परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर में अपनी उपस्थिति **दिनांक 25 जनवरी, 2017 तक** निश्चित रूप से देनी होगी।
9. उक्त समस्त चयनित अभ्यर्थियों को राज्य के नियमानुसार धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
11. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
12. उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि तक भी कार्यग्रहण नहीं करते और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—sd—
(सीमा कुमार)
शासन उप **सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. प्रभारी अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषध परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय अजमेर।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी– द्वारा निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान–सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-Mail 1. ayurvedajm@yahoo.co.in
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in
3. esttayurved2014@gmail.com

Telephone No. 0145-2425047
0145-2425835
0145-2425993

क्रमांक प01/प्रति–1/राज0/डी.टी.एल/2014/ 663-65 दिनांक 12-1-17

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– उप शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज0जयपुर
2– प्रभारी अधिकारी,राजकीय आयुर्वेद औषध परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर
3– संबधित को देकर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित समस्त दस्तावेजो सहित दिनांक 24.01.2017 ~~को~~ तक निदेशालय आयुर्वेद विभाग में अनिवार्यत उपस्थित होवे।
4– सामान्य पत्रावली

(स्नेहलता पंवार)
निदेशक